फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामरूप बनाम रामजीलाल वगै0

मु0नं0– 140/2019

किस्म मुकदमा– दावा तकास्मा एवं स्थायी निषे0

पीठासीन अधिकारी–श्री यशवन्त मीना आर.ए.एस.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.09.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पेश आपत्ति कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। पेश की गई आपत्ति में किसी प्रकार की ठोस आपत्ति जाहिर नहीं की गई है तथा आपत्ति में अंकित किया हे कि कुर्रेजात प्रस्ताव गलत है तथा दिया गया रास्ता भी गलत है लेकिन यह अंकित नहीं किया गया है कि कुर्रेजात प्रस्ताव एवं रास्ता किस प्रकार गलत है। जिससे स्पष्ट है कि आपत्ति महज पत्रावली को डिले करने की नियत से पेश की गई है इसलिए कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। तहसीलदार सिकराय मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। अंतिम डिक्री जारी हो निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	